राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 07/2019

1. सजना पुत्री चुनीलाल जाति (मेघवाल) हरिजन निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
2. राजो पुत्री चुनीलाल जाति (मेघवाल) हरिजन निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थीयागण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 30–03–2021**

प्रार्थीयागण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम किशनपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के हाल खाता संख्या 163 में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम सुगना पुत्र चुनीलाल के स्थान पर सजना पुत्री चुनीलाल एवं प्रार्थीया संख्या 2 का नाम मीरा पुत्री चुन्नीलाल के स्थान पर राजो पुत्री चुनीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीयागण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीयागण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता सं. 163 ग्राम किशनपुरा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयागण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम किशनपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के हाल खाता संख्या 163 में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम सुगना पुत्र चुनीलाल के स्थान पर सजना पुत्री चुनीलाल एवं प्रार्थीया संख्या 2 का नाम मीरा पुत्री चुन्नीलाल के स्थान पर राजो पुत्री चुनीलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

आदेश

अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम किशनपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के हाल खाता संख्या 163 में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम सुगना पुत्र चुनीलाल के स्थान पर सजना पुत्री चुनीलाल एवं प्रार्थीया संख्या 2 का नाम मीरा पुत्री चुन्नीलाल के स्थान पर राजो पुत्री चुनीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:35 IST
Reason: SelfAttested